

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- माया पुत्री रतन लाल धाभाई पत्नी काना धभाई निवासी शाहपुरा हाल सरैरी तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा
- 2- प्रियान्शु पुत्र सुरेश धभाई नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति सुनीता गुर्जर पत्नी सुरेश धाबाई निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- प्रांजल पुत्री सुरेश धभाई नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति सुनीता गुर्जर पत्नी सुरेश धाबाई निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- सुनीता गुर्जर पत्नी सुरेश धाबाई निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

- वादीगण

बनाम

- 1- रतन लाल पुत्र लादूराम गुर्जर निवासी तख्तपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा हाल शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- सरोज देवी पत्नी गिरधारी लाल गुर्जर निवासी काशीपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- अनिता पुत्री रतन लाल गुर्जर निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा
- 5- उपपंजीयक पंजीकन कार्यालय शाहपुरा जिला शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88,89, 92-क, 188 आर.टि.एक्ट


मुकदमा नम्बर 46 सन् 2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिव मुदई वX मिनजानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 19 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।


(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा